वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्यकलापों की जांच करने के लिए समिति

1202. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र निर्यात सवर्धन परिषद के कार्यकलापों की जांच करने तथा परिषद द्वारा निर्यात में कमजोर वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने तथा उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के उपायों का सुझाव देने के लिए वस्त्र मंत्री द्वारा मई, 1991 में एक समिति का गठन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति द्वारा क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ; और

(ग) इसके द्वारा अपना काम-काज आरंभ न कर पाने के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) तत्कालीन वस्त्र मंत्री ने मार्च, 1991 में यह सुझाव दिया था कि अपेरल निर्यात संवर्धन परिषद (ए ई पी सी) से संबंधित कुछ मुद्दों पर विचार करने के लिये वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक लघु समिति की स्थापना की जाए । समिति ने बैठक की और उसमें ए ई पी सी में सदस्य, कमजोर वर्गों के लिये विशेष कोटे निर्धारित करने की व्यावहार्यता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया । उसके बाद 25 मई, 1991 को तत्कालीन वस्त्र मंत्री ने यह सुझाव दिया कि मार्च, 1991 को तहले से स्थापित समिति को जो मुद्दे सौंपे गए थे वैसे ही मुद्दों की जांच करने के लए पाच गैर-सरकारी सदस्यों वाली एक अन्य समिति गठित की जाए । तथापि, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के कारण उक्त समिति स्थापित करने के बारे में औपचारिक आदेश जारी नही किए गए ।

राष्ट्रीय हथ-करघा विकास निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए समिति

1203. **श्री राम अवधेश सिंह :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्त्र मन्त्री ने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के कार्यकलापों की जांच करने और उसके कार्यकरण मे सुधार हेत उपायों का सुझाव देने के लिए कुछ समय पूर्व एक समिति का गठन किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति द्वारा अब तक क्या कार्यवाही प्रारंभ की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां ।

(ख) समिति के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं --

1. श्री मिश्री लाल यादव,
   गाव पछाड़ी, ब्लाक केओटी,
   जिला दरभंगा, बिहार ।

2. श्री बालेश्वर यादव, पूर्व-सांसद,
   पडरौना, उत्तर प्रदेश ।

3. प्रो. भाग सिंह आर्य,
   गाव खरी मटेवी,
   पो. ओ. कौल;
   जिला कैथल, हरियाणा ।

4. श्री प्रागदा कोटेया, सांसद
   (राज्य सभा),
   171, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली ।

5. श्री कासिम अली आबिद, पूर्व-सांसद,
   1, तालकटोरा रोड,
   नई दिल्ली ।

फिर भी चुनाव प्रक्रिया चलते रहने के कारण उक्त समिति के गठन के संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए थे ।